

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अमरी बनाम नौसर वगैरह

किस्म मुकदमा-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 349/2025 (मसूदा)

रिमा 05

21/7/25

श्री अजीत सिंह राठौड

21.07.2025

अमरी बनाम नौसर (2025/349)

यह अपील श्री अजीतसिंह राठौड एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 86/2025 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील वाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई वहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकपक्षीय सुना जाकर आगामी पेशी तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया जिसमें आगामी पेशी दिनांक 03.09.2025 नियत है। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे अपील प्रस्तुत की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को विना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली, फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर